

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975 Fax : 0612-2215994

(Email= bsmfc@patna-bih@gov.in website:www.bsmfc.org)

संख्या:-----नि० /रो०/ऋण

पटना, दिनांक: -----

संशोधित स्वीकृत्यादेश

राज्य सम्पौषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत वर्ष 2018-2019 गया जिला के चयनित ऋणार्थी के लिए पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-228 दिनांक-20.01.2022 के क्रमांक-1/6, से सम्बन्धित ऋणार्थी के नाम के सामने पूर्व में समर्पित बैंक खाता में ऋण की राशि तकनिकी कारण से खाता में अंतरित नहीं हो सका। इसलिए पुनः बैंक खाता में ऋण राशि RTGS/NEFT के द्वारा स्थानांतरित करने की संशोधित स्वीकृति दी जाती है।

Sl. No	चयन सूची क्रमांक	Appl_Name / F/H_Name & Address	पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश में अंकित खाता संख्या	खाता संख्या एवं नया आई०एफ०एस०सी	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing & Emboss Charge	Net Payable Amount
1/6	9/223	SAIYAD ISTEYAK HUSSIAN, S/o- SAIYAD TAHIR HUSSIAN, Vill +PO -HATHIYAWA, Block-BIJARSARAI, PS-MAHKAR, Distt.-GAYA-804407, Mob no.-9471655440	A/c No.:- 59164576966 IDIB0001537	A/c No.:- 59164576966 IDIB0001537	100000	500	99500
TOTAL					1,00,000	500	99,500

इस स्वीकृत्यादेश इस हद तक संशोधित समझा जाए। किन्तु स्वीकृत्यादेश संख्या-228 दिनांक-20.01.2022 में वर्णित अन्य शर्तें यथावत रहेगा।

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ह0/-
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक: 576-----

दिनांक: 15/2/22

प्रतिलिपि:- सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा/ऋण शाखा (कम्प्यूटर सेल)/लेखा शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनार्थ एवं आई०टी०मैनेजर को एस०एम०एस०ई-मेल भेजने हेतु सूची प्रेषित

[Signature]
प्रबंध निदेशक